69

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 3090–एक/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.07.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 340/अपील/2015–16

लखनलाल पुत्र भागवत प्रसाद तिवारी
निवासी ग्राम महोईकला तह0 गौरिहार
जिला छतरपुर म0प्र0 .....**आवेदक**

विरुद्ध

1. रामजी पुत्र भागवत प्रसाद तिवारी
2. मुन्नी देवी पत्नी रामजी
   दोनों निवासी ग्राम महोईकला तह0 गौरिहार
3. राजकिशोर पुत्र घासीराम
   निवासी ग्राम महोई खुर्द गौरिहार
   जिला छतरपुर (म.प्र.) .....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र धाकड़

आदेश

(आज दिनांक 16.1.18 **को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 340/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 28.07.2016 के विरुद्ध

म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार सरवई के आदेश दिनांक 17.04.2015 के विरुद्ध दिनांक 19.05.2015 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उनके द्वारा आदेश दिनांक 28.07.16 द्वारा समय सीमा में मान्य करते हुए आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए यह तर्क दिये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा–5 आवेदन को स्वीकार किए जाने का कारण दिया गया है, लेकिन उक्त आवेदन पर आवेदक द्वारा की गई आपत्ति निरस्त करने का समुचित कारण नहीं दिया गया है। इस कारण उक्त आदेश निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदक क. 1 ने सिविल न्यायालय के आदेश का हवाला देकर रिकॉर्ड सुधार का आवेदन पेश किया था जिस पर आवेदक ने आपत्ति पेश की कि वरिष्ठ न्यायालय में प्रकरण लंबित है सिविल न्यायालय का आदेश अंतिम नहीं है। इस कारण रिकॉर्ड सुधार बावत् प्रस्तुत आवेदन निरस्ती योग्य है। तहसील न्यायालय ने आवेदक की आपत्ति मान्य कर अनावेदक का आवेदन निरस्त करने का वैध आदेश पारित किया है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी समयावधि में प्रस्तुत की है, अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समयावधि में मान्य करने के स्पष्ट कारण अपने आदेश में दिए हैं । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा व्यवहार नयायाधीश वर्ग–2 द्वारा व्यवहार वाद कमांक 27ए/09 में पारित आदेश की फोटो प्रति प्रस्तुत कर उक्त निर्णय के अनुसार प्रकरण

का निराकरण करने का निवेदन करते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि उनके समक्ष विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 17–4–15 के विरूद्ध 19–5–15 को प्रस्तुत की गई और इस अवधि में से यदि नकल हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29–4–15 से लेकर नकल प्राप्त करने के दिनांक 18–5–15 के बीच की अवधि को कम किया जाये तो अपील समयावधि में है । अनुविभागीय अधिकारी का उक्त निष्कर्ष न्यायिक एवं विधिसम्मत है और उनके द्वारा अपील को समयावधि के अंदर मान्य करने में कोई न्यायिक त्रुटि नहीं की है । प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में गुणदोष पर होना है जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है । चूंकि अभी प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में गुणदोष पर होना है, ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के जिस निर्णय का सहारा लिया जा रहा है उसकी प्रति वे अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें । दर्शित परिस्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर